

**फर्द अहकाम**

जयदीश बनाम सरजू

अतिरिक्त कलक्टर

नाम न्यायालय (तृतीय) जयपुर

केस संख्या 51/2018 **अपील**

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
19-10-22		पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कार्यवाही करने/कार्य स्थापित करने के कारण पत्रावली पेश की गई। कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2-11-22 को पेश हो। <i>रीडर, न्यायालय (तृतीय), जयपुर</i>
2-11-22		पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कार्यवाही करने/कार्य स्थापित करने के कारण पत्रावली पेश की गई। कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16-11-22 को पेश हो। <i>रीडर, न्यायालय (तृतीय), जयपुर</i>
16-11-22		पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कार्यवाही करने/कार्य स्थापित करने के कारण पत्रावली पेश की गई। कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-12-22 को पेश हो। <i>रीडर, न्यायालय (तृतीय), जयपुर</i>
7-12-22		पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त सिंडिकेट अर्थात् अनुपायित कारखाना आवाज लगाने वाली संस्था के अपीलान्त अनुपायित रजिस्ट्रार और अपीलान्त से कोई शर्त नहीं। पत्रावली पेश की गई। कारखाना आवाज लगाने पर भी अपीलान्त रजिस्ट्रार अनुपायित हो पूर्व में आपन मुकाम के मोरिस पत्र कले के निर्देश आवाज लगाने का आप दिनांक 14-2-21 से निरन्तर संचालित है। कारखाने मोरिस तलब पत्र नहीं करना स्व अनुपायित रजिस्ट्रार से सिद्ध होता है कि अपीलान्त अतिरिक्त अपीलान्त प्रक्रिया को आज नहीं बहाना पावते। अतः अपील अपीलान्त सिंडिकेट प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 एवं आदेश 9 नियम 8 के अन्तर्गत खारिज की जाती है। पत्रावली प्रेषण शुभारंभ के बाद पत्रावली से कत दोकर दाखिल दफ्तरे हो। <i>रीडर, न्यायालय (तृतीय), जयपुर</i>

*Handwritten signature/initials*

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर